

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

पत्रांक-वि० प्रा० (II) स्था०-01/2011 3696 पटना, दिनांक- 1-11-2019

विभागाधीन क्षेत्रीय संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/अभियंत्रण महाविद्यालय/राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद एवं राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय के अराजपत्रित कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक-3049 दिनांक-22.12.2017 के द्वारा सचिव राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया था। दिनांक-14.10.2019 को प्राप्त स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा तथा निदेशक के अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित कर्मचारियों के नाम के सामने कॉलम- 4 में अंकित त्रुटियों के कारण उनके ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति पर विचार नहीं किया गया :-

क्र०सं०	कर्मचारियों के नाम/पदनाम	सेवा में योगदान की तिथि	अनुमान्य ए०सी०पी० /एम०ए० सी०पी० का वेतन बैड/ग्रेड वेतन तथा संशोधित ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री राजहंस आनन्द, प्रयोगशाला सहायक, बी०सी०ई० भागलपुर।	10.12.2004	नियुक्ति औपबंधिक रूप से है एवं सेवा की संपुष्टि नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।	
2.	श्री प्रमोद कुमार सतरा, प्रयोगशाला सहायक, बी०सी०ई० भागलपुर।	16.12.2004	नियुक्ति औपबंधिक रूप से है एवं सेवा की संपुष्टि नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।	
3.	श्री संजय कुमार दत्ता, प्रयोगशाला सहायक, बी०सी०ई० भागलपुर।	13.12.2004	नियुक्ति औपबंधिक रूप से है एवं सेवा की संपुष्टि नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।	
4.	श्री विनय कुमार सिन्हा, अनुदेशक, रा०पो० मुजफ्फरपुर	14.06.1989	सेवा संपुष्टि सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं है। अतः एम०ए०सी०पी० अनुमान्य नहीं है।	
5.	श्री हरेश कुमार सिंह, प्रारूपक, रा०पो० मुजफ्फरपुर	10.06.1989	सेवा संपुष्टि सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं है। अतः एम०ए०सी०पी० अनुमान्य नहीं है।	

31.10.19
निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वि० प्रा० (II) स्था०-01/2011

3696

पटना, दिनांक- 1-11-2019

प्रतिलिपि- सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी/संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी संबंधित प्राचार्य को निदेशित किया जाता है कि कॉलिका-4 में उल्लिखित त्रुटियों का निराकरण कर एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाय।

31.10.19
निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।